



DAILY NEWS BULLETIN

LEADING HEALTH, POPULATION AND FAMILY WELFARE STORIES OF THE Day
Saturday

20260613

How DoE is trying to soften the blow for NIOS students

Meghna Dhulla
@timesofindia.com

New Delhi: Even as concerns persist among sections of Delhi govt school teachers that students passing Class X through National Institute of Open Schooling (NIOS) continue to face problems in getting admitted to science and commerce streams in govt schools, Directorate of Education (DoE) is increasingly positioning NIOS as a tool to prevent vulnerable students from dropping out.

Under recent guidelines issued through DoE's NIOS Project, schools have been directed to inform parents that subjects often considered difficult, including mathematics, are

DoE has asked all govt schools to identify and counsel students who have failed Class IX twice or thrice and guide them towards continuing education

not compulsory under the NIOS system and that students who clear Class X through NIOS remain eligible for admission to Class XI in their parent govt schools. The intervention specifically targets students who have failed Class IX more than once and are considered at greater risk of exiting the education system.

To strengthen retention efforts, DoE has asked all govt schools to identify and counsel students who have failed Class IX twice or thrice and guide them towards continuing education. In a recent circular issued after the declaration of Class IX compartment examination results, school heads were instructed to prepare lists of such students and personally reach out to both students and their families.

Schools have been asked to invite parents for discussions at mutually convenient times and ensure that interactions are conducted in a "supportive and non-judgemental environ-

ment". The circular places co-counselling at the centre of the intervention and directs schools to explain the long-term importance of completing school education while reassuring parents that institutional support will continue.

"In the absence of proper guidance and motivation, these students are at risk of discontinuing their education. Schools have, therefore, been directed to first encourage them to continue through the regular schooling system wherever possible," an official said.

However, where students or parents are unwilling to continue in regular school, authorities have been asked to introduce the NIOS route. Under it, students can take direct admission to Class X, select subjects according to their interests and abilities, avoid compulsory mathematics, if needed, and continue learning at their own pace while preventing the loss of an academic year.

The circular adds that heads of schools must inform parents that after completing Class X through NIOS, students can continue in the parent school for Class XI, enabling continuity in schooling.

The push comes even as Government Schools Teachers' Association, Delhi, has urged govt to review what it describes as restrictive admission rules for NIOS students. In a letter, the association argued that students passing through NIOS should receive equal access to Class XI admissions across streams.

The teachers' body said that despite NIOS being a recognised national board under the Union education ministry, students were being denied science and commerce admissions "solely because they studied through the open schooling system".

Responding to such concerns, NIOS has maintained that "the secondary and senior secondary certificates obtained from NIOS have the same recognition as certificates issued by other boards" and are "equivalent and on a par" with certificates awarded by other recognised boards.

कैंसर दवाओं की शीशियों को नष्ट करने का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य

ललित कौशिक

नई दिल्ली। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी और जीवनरक्षक दवाओं की नकली बिक्री और दुरुपयोग पर रोकने लगाने के लिए दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने ऑन्कोलाजी विशेषज्ञता वाले प्रमुख अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें लिखा कि अस्पतालों को कैंसर दवा की खाली शीशियों से लेकर लेबल को नष्ट करना होगा।

विभाग ने अस्पतालों को कैंसर रोगी दवाओं की खरीद, उपयोग और

शीशी ऐसे करें नष्ट ताकि न हो सकें दोबारा इस्तेमाल



उनका दोबारा इस्तेमाल न हो सके। ऐसे अपशिष्टों का निपटारा जैव-पिहित अपशिष्ट प्रबंधन विभागों के अनुसार किया जाना चाहिए।

साथ ही प्रत्येक आपत की प्राप्ति, उपयोग, मरीज को दी गई खुराक, शेष स्टॉक और बर्बादी का पूरा रिकॉर्ड रखने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि उपयोग के बाद सभी खाली बायल और एंथ्यूल को तुरंत नष्ट किया जाए। इसके लिए उन्हें तोड़ने, कुचलने या लेबल छराब करने जैसे उपाय अपनाने होंगे ताकि

खाली शीशियों (बायल) के सुरक्षित निपटान को लेकर विशेष सावधानी

बरतने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार ऐसे मामले सामने आए हैं,

जिनमें असामाजिक तत्व असली दवाओं को इस्तेमाल की जा चुकी खाली शीशियों को दोबारा भरकर नकली या घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं के रूप में बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं।

इससे मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। एडवाइजरी में अस्पतालों को केवल अधिकृत और लाइसेंस धारी स्रोतों से ही कैंसर की दवाएं खरीदने तथा बैच नंबर, बिल और आपूर्तिकर्ता संबंधी सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

संदिग्ध गतिविधियों की देनी होगी सूचना

इसके अलावा अस्पतालों को आंतरिक निगरानी प्रणाली विकसित करने, समय-समय पर ऑडिट कराने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल ड्रग्स कंट्रोल विभाग को देने के लिए कहा है। विभाग ने कहा कि यह एडवाइजरी मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दवा आपूर्ति शृंखला की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी की गई है।

तेजी से बढ़ता तापमान 2030 तक तोड़ देगा 1.5 डिग्री की सीमा

अमर उजाला नेटवर्क

लंदन/जिनेवा। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पहले से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रही है। यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा गति से जारी रहा तो 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा पार कर सकता है। इसका गंभीर असर समुद्रों, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था और मानव स्वास्थ्य तक दिखाई देगा।

अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, 2025 में पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में लगभग 1.39 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अतिरिक्त गर्मी का पूरा हिस्सा मानवजनित गतिविधियों से पैदा



हुआ है। जोवाश्म ईंधन का व्यापक उपयोग, उद्योगों से निकलने वाला कार्बन प्रदूषण और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई इसके प्रमुख कारण हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में तापमान वृद्धि की रफ्तार पहले के दशकों की तुलना में

समुद्र का तेजी से बढ़ता स्तर तटीय क्षेत्रों के लिए बन रहा खतरा

अध्ययन के अनुसार, 1901 के बाद से वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 23 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। यह वृद्धि तटीय क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा है। समुद्रों का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। गर्म समुद्री जल के कारण समुद्री लू की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इससे प्रवाल भित्तियाँ, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अध्ययन के अनुसार 1991 की तुलना में समुद्री लू वाले दिनों की संख्या तीन गुना से अधिक हो चुकी है।

दुनिया के सामने बढ़ती चुनौती... वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती गर्मी, समुद्र स्तर में वृद्धि, चरम मौसम घटनाएँ और पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़ता दबाव दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में महमूस किया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी स्थिति को पूरी तरह अनियंत्रित होने से रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेज और व्यापक कटौती करनी होगी। साथ ही जलवायु निगरानी नेटवर्क को मजबूत बनाना और स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा।

और तेज हुई है। यही वजह है कि अब 1.5 डिग्री की सीमा पार होने की आशंका पहले से अधिक वास्तविक दिखाई दे रही है। 2015 में हुए पेरिस जलवायु सम्मेलन में दुनिया के देशों ने यह लक्ष्य तय किया था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री

सेल्सियस से काफी नीचे रखा जाए और संभव हो तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सीमा के भीतर रहने से जलवायु परिवर्तन के सबसे विनाशकारी प्रभावों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

IVF सेटर मामले की सचिवालय में सुनवाई, दंपती ने जताई नाराजगी

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

नोट

साठथ दिल्ली स्थित नामी IVF सेटर और अस्पताल पर भ्रूण और नवजात बच्चों की कथित अदला-बदली मामले को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में सुनवाई हुई। इस पर शिकायतकर्ता दंपती ने नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत गठित यूटी एप्रोप्रियेट अथॉरिटी (ART एवं सरोगेसी) ने मामले में संबंधित दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सचिवालय में बुलाया था।

शुक्रवार को सुनवाई के लिए दोनों पक्ष दिल्ली सचिवालय पहुंचे। दंपती का आरोप है कि सुनवाई के नाम पर केवल खानापूति हुई है। जिससे उन्होंने नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि सारे दस्तावेज मौजूद थे। पूरी स्टोरी भी सुनी। आरोप है कि क्लीयर एवीडेंस होने बाद भी सिर्फ इतना बोला गया कि रिटन सन्मिशन कर दीजिए। उस पर विचार किया जाएगा।



AI Image

इस पर दंपती ने नाराजगी जताई है। दरअसल पिछले दिनों दंपती को आईवीएफ से जन्मी बेटियों का चेहरा देखकर उन्हें शक हुआ तो उन्होंने बेटियों का डीएनए टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट में दंपती से बच्चियों का बायोलॉजिकल संबंध नहीं मिला। इसके बाद दंपती ने पीएमओ, सीएम लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री समेत कई संबंधित विभाग समेत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत काम करने वाली ART और सरोगेसी प्राधिकरण से भी शिकायत की थी। साकेत कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच पुलिस भी कर रही है।

[illegible]

AIIMS की स्टडी में दावा, मिर्गी के मरीजों के लिए योग बन रहा सहारा

● NBT लिखते, पढ़ें लिखें

मिर्ची (हॉर्नलेन्सी) को अक्सर या केवल ही पाने वाले बेवारी माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ से लेने को कई दूसरे लाभकारी का ये समानता पाया गया है। SN AIDMS की एक संस्था ने इसे मोती के लिए उपयुक्त की किल दिखाई है। मोती में पाया गया कि मिर्चियां पाने या केवल मिर्ची के पत्तियों में सर्दियाह समय और समशीत कालों को पाने की कम कम है। कोमल ही मिर्चियां पाने में ये महत्त्व रहित हो सकता है। एक ही इस मोती में 10 से 20 वर्ष की आयु के 160 मि. मोती को शामिल किया गया। मोती को दो समुहों में

नियमित योग से निर्भी के मरीजों में मानसिक तनाव और सामाजिक कलंक की भावना होती है कम

कहा: एक समूह की हीन भावना तक पोहोचने और मनीषिता (सादृश्यबुद्धिमान) हो गई, जबकि दूसरे समूह को सामान्य इंसान और मनीषिता ही थी। उस भावना तक दोनों समूहों को



निपटारी की गई। मरती के गरीबों में सामान्य आयु
जिसे पोल करने वाले गरीबों में राजनीतिक कार्रवाई का
निर्देशन सहज रूप से की शक्ति में राजनीतिक
हमारे आ। विशेषज्ञों का कहना है कि मरती के
गरीब जनता इस तरह के साथ जीते हैं कि
हमें उन्हें आम जनता में देखेंगे या उनको
कोई भी गलत समझेंगे। पोल में हम
कार्यरत लोग की आम करने में
बड़ा भिन्न। पोल करने
वाले गरीबों में 10
10 प्रतिशत में कम

होने को संघारण अन्य भाषियों की तुलना में यह दुःख से ज्यादा बर्णित था। इनमें ही नहीं, कुछ भाषियों में ठीक वही तरह की भावना को संघारण से अधिक दर्ज की गई। अध्ययन में यह भी पाया गया कि लोग से चित्र के तालमेल कम हुए, पारस्परिक एकताएं केवल हुईं और जीवन की दुःखता में कुछ अंतर। कई भाषियों में खुद को अधिक अनुभूतिवादी और पारस्परिक रूप से संयुक्त महसूस किया। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा नहीं और यह लोग पर संभावित रूप से उत्पन्न है। विशेषज्ञों के अनुसार यह है और पारस्परिक अनुभव केवल उत्पन्न है। संभावितताओं का जीवन है कि किसी के द्वारा में केवल एक ही या किसी भाषी के कारण ऐसा नहीं एक पदार्थों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

LENS

सड़कों के
अंदर की बात

योग से मरीज का जीवन बनता बेहतर

इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि
यहां किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं है।

लेकिन यह इरादा जो अखिर प्रगल्भी बनने और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने में सफलतापूर्वक बुनियाद पिय सफल है। हमरा जो इस लक्ष्य में सफल होना है कि हमारा देश में गरीबों के अभाव को समाप्त कर दें, अखिर समाजिक और आर्थिक रूप से भी सफल बन सकेंगे हैं। हम लोग जो चाहते हैं कि देश में हमने जो इरादा रखा है उसे हमने सफलतापूर्वक अंजित करें।

बवाना-थौचंटी रोड पर

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया हो सकती है अमीर

जाने-माने अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। उन्होंने 'कैपिटल ऐंड आईडियॉलजी' जैसी किताब भी लिखी है, जिस पर काफी चर्चा हुई। पिकेटी ने पेरिस से टाइम्स इशूक के लिए सृजना मित्रा दास से बात की। इसमें उन्होंने ग्लोबल जस्टिस प्रोजेक्ट और इसकी नई रिसर्च पर चर्चा की। इस रिसर्च में बताया गया है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना समूची दुनिया और अमीर कैसे बन सकती है। पेश है इस इंटरव्यू के खास अंश:

■ ग्लोबल जस्टिस प्रोजेक्ट (GJP) क्या है, जिस पर आप काम कर रहे हैं?

दुनिया भर के 200 शोधकर्ताओं ने जो डेटाबेस तैयार किया, उसकी बुनियाद पर GJP में 45 लेखकों को शामिल किया गया और इससे एक रिपोर्ट तैयार हुई। हम इसमें सवाल कर रहे हैं कि क्या कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना दुनिया में समृद्धि आ सकती है? मान लीजिए कि भविष्य में हर देश में एक जैसी समृद्धि आ जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा और इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हम इसकी शुरुआत ग्लोबल साउथ (विकासशील और पिछड़े देशों), खासतौर पर भारत से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन देशों में भी विकसित देशों जैसी समृद्धि आए। इस खेप को विकसित देशों को भी गंभीरता से लेना होगा। अगर दुनिया के ज्यादातर देश पिछड़े बने रहें तो शायद धरती का तापमान ज्यादा न बढ़े। मगर कोई देश पिछड़ा क्यों बना रहना चाहेगा। इसलिए GJP रिपोर्ट में हमने यह सवाल उठाया है कि दुनिया में एक जैसी समृद्धि कैसे हासिल की जा सकती है और ऐसा हुआ तो धरती कैसी होगी।

आज पूर्वी अफ्रीका, केन्या और इथियोपिया जैसे उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (ग्रीन नेशनल इनकम) हर महीने 300 यूरो है। यह दक्षिण एशियाई देशों में 700 और उत्तरी अमेरिका के देशों में 5,000 यूरो है। जब साल 2100 तक सभी देशों में इसे 5,000 यूरो के स्तर पर लाया जा सकता है, हम यही सवाल कर रहे हैं? प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना यह काम कैसे किया जा सकता है? हमारी शोध बताती है कि तीन चीजें हो तो लक्ष्य हासिल हो सकता है। पहला, जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) पर प्रतिबंध लगाना होगा। इसके लिए अगले दो से तीन दशकों तक विंड टर्बाइन, सोलर पैनल आदि में बड़ा निवेश करना होगा। दूसरा, हमें यह समझना होगा कि कितना कंजमेशन पचास है। भारत जैसे देश में इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, लेकिन विकसित देशों में एक व्यक्ति को 10 आईफोन रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही, GDP का एक अच्छा-खासा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर खर्च करना होगा। जैसे-जैसे कोई देश समृद्ध होना शुरू है, उसे इस बदलाव से गुजरना होगा। फिर खाने की आपूर्ति में बदलाव भी जरूरी है। तीसरा, संपत्ति के वितरण में जो असमानता है, उसे दूर करना होगा। आज नीचे की 50% आबादी के पास दुनिया की सिर्फ 2% दौलत है। इस असमानता को दूर करने के लिए अरबपतियों पर वेलथ टैक्स की बढ़ाकर 20%



GJP रिपोर्ट में हमने सवाल उठाया है कि दुनिया में एक जैसी समृद्धि कैसे हासिल की जा सकती है। आज पूर्वी अफ्रीका, केन्या और इथियोपिया जैसे देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय हर महीने 300 यूरो है। यह दक्षिण एशियाई देशों में 700 और उत्तरी अमेरिका के देशों में 5,000 यूरो है। क्या साल 2100 तक सभी देशों में इसे 5,000 यूरो के स्तर पर लाया जा सकता है, हम यही सवाल कर रहे हैं?



सप्ताह का इंटरव्यू

थॉमस पिकेटी

**TIMES
eVoke**

करना होगा। इस पैसे को एक फंड में डाला जाए और उससे ये लक्ष्य पूरे किए जाएं।

■ वैश्विक स्तर पर कई राजनेताओं को अरबपतियों (बिलियनेयर्स) का समर्थन मिला हुआ है या वे खुद अरबपति बनने में लगे हुए हैं। फिर वे अरबपतियों पर टैक्स लगाने के लिए क्यों मानेंगे?

उन्हें कभी न कभी लोकतांत्रिक ताकतों के आगे झुकना होगा। आज दुनिया में ज्यादातर लोग अरबपतियों पर टैक्स लगाने का समर्थन करते हैं। एक समय आया, जब सुपररिच इसका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। साथ ही, अगर विकसित देशों के नेताओं को भी नीचे की 90% आबादी का समर्थन चाहिए तो उन्हें उनकी आमदनी बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से 20वीं

सदी में लोगों ने इनकम टैक्स को स्वीकार किया, उसी तरह से 21वीं सदी में वेलथ टैक्स को भी स्वीकार करेंगे। जब इनकम टैक्स का आईडिया आया था, तब लोग इसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि इससे आधुनिक इकॉनमी तबाह हो जाएगी। इनोवेशन रुक जाएंगे। इसके बावजूद हर जगह इनकम टैक्स लाया गया। यह डर भी गलत साबित हुआ कि इससे इकॉनमी को नुकसान होगा। इनकम टैक्स लागू किए जाने के बाद ज़ेथ-प्रॉडक्टिविटी बढ़ी, समृद्धि आई।

बेशक अरबपति पहले वेलथ टैक्स का विरोध करेंगे, लेकिन उन्हें हार माननी होगी। जैसे, हमारी रिपोर्ट में माना गया है कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। रिपोर्ट में हमने काम करने के घंटों में कमी की ओर भी ध्यान दिलाया है। यह विकसित देशों में आज बड़ा मुद्दा है। भारत में अभी समृद्धि बढ़ाना प्राथमिकता है, लेकिन जैसे-जैसे समृद्धि बढ़ती है, लोग काम के घंटों में कमी की मांग करते हैं। वे अपने लिए ज्यादा वक्त चाहते हैं। साल 1900 में एक व्यक्ति साल में 3,000 घंटे काम करता था, आज यह वैश्विक स्तर पर 2,000 घंटे है। यूरोप में तो 1,500 घंटे ही हैं और साल 2100 तक इसे 1,000 घंटे तक लाने का लक्ष्य है। ■ आज सोशल मीडिया अति-उपभोग (ओवरकंजमेशन) को बढ़ावा देता है। अरबपतियों को ग्लैमराइज किया जाता है। यह कितनी बड़ी चुनौती है?

इस सवाल का जवाब अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग है। भारत में यूरोप और उत्तरी अमेरिका की तरह समृद्ध होने की चाहत है, जो बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का हद में इस्तेमाल करते हुए यह हो। आज जो अरबपति हैं, खासतौर पर विकसित देशों में, उनकी ग्लोबल वॉर्मिंग और प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका है। इसलिए उनसे ग्लोबल जस्टिस फंड में योगदान की मांग बिल्कुल जायज है। इस रकम की मदद से ग्लोबल साउथ के देशों में समृद्धि बढ़ेगी।

■ अरबपति इसके लिए क्यों मानेंगे? इन बदलावों से जलवायु परिवर्तन की आपदा को रोकने में मदद मिलेगी, जिससे अमीरों को भी फायदा होगा। हमारी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगर वैश्विक सकल राष्ट्रीय आय 10,000 यूरो हो जाए और लोम अभी जितना काम कर रहे हैं उतना करते रहें तो धरती का तापमान 4C से अधिक हो जाएगा। 5,000 यूरो और 1.8C तापमान इससे कहीं बेहतर है। धरती का तापमान 3C हो जाए तो खासतौर पर भारत जैसे देश में पर्यावरण के लिहाज से तबाही आ जाएगी। इससे लोगों का जीवन मुहल हो जाएगा।

■ आप कहते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के जरिये यह कामाया नहीं लाया जा सकता, फिर यह काम कौन करेगा? हमें ग्लोबल प्लूटोक्रैसी (धनतंत्र) से ग्लोबल डेमोक्रेसी की ओर बढ़ना होगा। IMF और वर्ल्ड बैंक में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के वॉटिंग राइट्स उनकी आबादी की तुलना में चार गुना अधिक हैं, जबकि उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के चार गुना कम। इसे दुरुस्त करना होगा।

रिपोर्ट | राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई, पिछले वर्ष दिल्ली एम्स में एक भी मरीज का हृदय प्रत्यारोपण नहीं किया गया

दिल्ली-एनसीआर में घटा हृदय प्रत्यारोपण, सिर्फ चार सर्जरी हुई

राजिब सिंह

नई दिल्ली। दिल की बीमारी से जुड़े खतरों के लिए हृदय प्रत्यारोपण करवाने में कम नहीं होता। हर वर्ष देश में 200 से अधिक मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण से नई जिंदगी मिलती है।

स्थिति यह है कि अभी देश में 1800 से अधिक मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण का इंतजार है। सरकारी अंग अस्पताल के परिसर में मौजूद राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) के आंकड़ों से यह बात सामने आई है। अंग प्रत्यारोपण का बड़ा केंद्र होने के बावजूद दिल्ली-एनसीआर हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी कम हो गई है। इसका बड़ा कारण एम्स में अभी हृदय

प्रत्यारोपण बंद होना है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष देश में कुल 20,019 अंग प्रत्यारोपण हुए, जिसमें से 17.35 प्रतिशत मरीजों को कैटेजर डोनेर प्रत्यारोपण किया गया। उन मरीजों को ड्रेन डेट लॉन्ग के अंगदान से मिली किडनी, लिवर, फेफड़े व हृदय जैसे अंग प्रत्यारोपित किए गए। इनमें से 238 मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण हुआ।

यहाँ, दिल्ली-एनसीआर के अस्पतालों में कुल 4563 अंग प्रत्यारोपण सर्जरी हुईं, जिसमें से ज्यादातर जिवित मरीजों को जिवित लॉन्ग के दान से मिली किडनी और लिवर प्रत्यारोपित किया गया। वहाँ ड्रेन डेट लॉन्ग का अंगदान कम होने से



कैटेजर (ड्रेन डेट) डोनेर प्रत्यारोपण सिर्फ 2.25 प्रतिशत हुआ। अस्पतालों में अंगदान बढ़ाने की दिशा में लोका जाय नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि

वर्ष 2025 में अंग प्रत्यारोपण

देश में	दिल्ली-एनसीआर में
कुल प्रत्यारोपण	कुल अंग प्रत्यारोपण सर्जरी
लाइव डोनेर प्रत्यारोपण	जिवित डोनेर प्रत्यारोपण
ड्रेन डेट डोनेर प्रत्यारोपण	कैटेजर डोनेर प्रत्यारोपण
हृदय प्रत्यारोपण	हृदय प्रत्यारोपण

अभी 1825 पीड़ितों को ऑपरेशन का इंतजार

नोटो ने 1825 बरियन हृदय प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत है, जिसको सर्जरी का इंतजार है। निदेशिका डॉ. अमित कुमार ने बताया कि देश भर में हृदय प्रत्यारोपण के लिए 182 अंगदान के पास लाइसेंस है। इसमें 38 सरकारी अस्पताल हैं।

दिल्ली-एनसीआर के अस्पतालों में सिर्फ चार मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण हो पाया। इससे से एक हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी अस्पताल अस्पताल में हुई

थी। बाक़ी तीन मरीजों को अलग-अलग की विभिन्न अस्पतालों में हुई। पिछले वर्ष एम्स में एक भी मरीज को हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी नहीं हुई थी।

2024 में 12 मरीजों को हुआ था हृदय प्रत्यारोपण

वर्ष 2024 में दिल्ली-एनसीआर में 12 मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। इसमें एम्स में हुए हृदय प्रत्यारोपण भी शामिल थे। एम्स में पहले हर वर्ष 60 से सता मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण होता था। जैसे वो वर्ष से एम्स में हृदय प्रत्यारोपण कार्यक्रम टप होने से दिल्ली एनसीआर में हृदय प्रत्यारोपण कम हो गया है।

यह भी जब एम्स हृदय प्रत्यारोपण के लिए अब भी केंद्र रहा है। दिल्ली और एनसीआर में 13 अस्पतालों ने हृदय प्रत्यारोपण के लिए लाइसेंस ले रखे हैं।



मानसून से पहले सीवर और नालियों की सफाई करवाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: दक्षिण जिले को दिशा कमेटी (जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी) की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने की। उन्होंने अधिकारियों को मानसून से पहले नाले-नालियों और सीवर की सफाई करवाने के निर्देश दिए। बिधूड़ी ने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव की वजह से जाम भी लगता है।

इसलिए इससे निपटने के लिए हर संभवन इंतजाम किए जाएं। सांसद ने कहा कि नालियों की सफाई ठीक से करवाई जाए, ताकि जलभराव नहीं होने पाए। सांसद ने कहा कि मानसून आने पर जब तेज वर्षा होती है तो विभिन्न इलाकों में जलभराव हो जाता है। इससे पहले ही सभी काम हो जाने चाहिए। बैठक में दक्षिण जिले के डीएम श्रवण बागडिया, नगर निगम के सेंट्रल जोन के डीसी सचिन गुप्ता, नगर निगम सेंट्रल जोन की चेयरमैन योगिता सिंह, डीसीपी ट्रैफिक रणबीर सिंह, विधायक नीरज बसोया, चंदन सिंह, नेताजी राम सिंह, निगम पार्षद राजपाल सिंह आदि मौजूद रहे।

लिवर प्रत्यारोपण कर चार किलोग्राम से कम वजन के शिशु को दी जिंदगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: बाल लिवर प्रत्यारोपण (पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट) में वैश्विक स्तर पर विशेषज्ञता का उदाहरण पेश करते हुए



दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 'त्रिनिदाद एंड टोबैगो' के सात

माह के एक शिशु डा. नीरव गोयल • एरिक रामसूक का सफल लिवर प्रत्यारोपण किया गया। प्रत्यारोपण के समय एरिक का वजन चार किलोग्राम से भी कम था और वह एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक लिवर रोग के कारण जीवन-मृत्यु के संघर्ष से गुजर रहा था।

अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, एरिक के परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से हैं। लगभग 175 वर्ष पहले उनके पूर्वज भारत से कैरेबियाई देश 'त्रिनिदाद एंड टोबैगो' गए थे। वहां उपचार की संभावनाएं बहुत सीमित होने से एरिक का परिवार उसे लेकर

- 'त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से सात माह के शिशु को लेकर अपोलो अस्पताल आया था परिवार
- अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक लिवर रोग के कारण जीवन-मृत्यु के संघर्ष से गुजर रहा था शिशु

दिल्ली में अपोलो अस्पताल पहुंचा, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उसे नई जिंदगी दी।

अपोलो अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि जांच में पता चला कि एरिक आनुवंशिक कारणों से होने वाले लिवर के एक ऐसे दुर्लभ रोग से पीड़ित था, जिसमें पित्त बाहर नहीं निकलता और शरीर के अंदर ही जमा होता रहता है। इसे चिकित्सीय भाषा में पीएफआईसी-4 कहते हैं।

चिकित्सकों के अनुसार इस बीमारी ने एरिक के लिवर को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। वह एंड-स्टेज लिवर फेल्योर, गंभीर कुपोषण, पेट में पानी भरने और अन्य

जटिलताओं से जूझ रहा था।

अपोलो अस्पताल की लिवर प्रत्यारोपण टीम के प्रमुख डा. नीरव गोयल के नेतृत्व में उसकी सर्जरी की गई। उन्होंने बताया कि जांच में पिता उपयुक्त डोनर नहीं पाए गए, जिसके बाद बच्चे की मां ने अपने लिवर का हिस्सा दान कर उसे जीवनदान दिया। डा. नीरव गोयल ने बताया कि दुनिया भर में शिशुओं के लिवर प्रत्यारोपण के ऐसे 10 से भी कम मामले हैं।

उन्होंने बताया कि अपोलो अस्पताल में अब तक 600 से अधिक बाल लिवर प्रत्यारोपण हो चुके हैं, इनमें इस तरह के आनुवंशिक विकार से जुड़े केवल दो ही मामले रहे। सफल सर्जरी के बाद एरिक को 15 दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस उपलब्धि न केवल एक बच्चे की जिंदगी बचाने से जुड़ी है, बल्कि भारत की उन्नत बाल प्रत्यारोपण विशेषज्ञता और जटिल शल्य चिकित्सा क्षमताओं की वैश्विक पहचान को भी मजबूत करती है।

Equality of treatment for Persons with Disabilities

Addressing the digital divide through the Digital India Mission, India has marched on towards becoming a global "best practice" model of a digital welfare state. Yet, Persons with Disabilities (PwDs) remain largely excluded from this promise of universal outreach. Disability pensions, contrary to the very principles underlying disability rights, are determined not by the nature or extent of disability but by domicile, the discretionary decisions of State governments, and cumbersome bureaucratic processes. As a result, a vulnerable section of citizens continues to remain outside the ambit of a welfare architecture that otherwise prides itself on inclusivity and last-mile delivery.



Sushil Kumar

Former Secretary,
Government of India,
and an Advocate in
the Supreme Court
and High Court

An inadequate safety net

The 2011 Census recorded 2.68 crore PwDs. Today, accounting for population growth and changing disease profiles, their number is conservatively estimated at 4.5 crore-6 crore. Although the Supreme Court of India has recognised the right to live with dignity as a fundamental right and the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides legal protection, disability benefits – especially pensions – remain fragmented, discretionary, and inadequate. As a result, the Indra Gandhi National Disability Pension Scheme covers only a small fraction of PwDs, while pension amounts in most States range from just ₹300 to ₹500 a month, with a few offering ₹1,000-₹3,000.

India spends barely 0.02% of GDP on disability welfare including pensions. South Africa spends 0.12%-0.15% of GDP (six times more); Brazil 0.45%-0.50% (20 times more); OECD countries 2.2% (100 times more) and Australia 0.35%-0.40% (20 times more).

Beyond politics, sound economics demands the inclusion of PwDs. The World Bank and UNDP estimate that low- and middle-income countries lose 3%-7% of GDP when PwDs are excluded from education, employment, and social security. Disability income improves household stability, rural consumption, and labour participation. Studies show fiscal multipliers of 1.4-1.6, while the 2025 Pro Bono Economics report found that the socio-economic returns from disability pensions exceed their costs by nearly 48%. Far from being a welfare expense, disability pensions are an investment and an effective economic stimulus.

India must establish a Minimum Universal Disability Pension Floor Rate (MUDPFR) to give effect to the state's constitutional obligation under Article 41, to provide public assistance to persons with disabilities, and to operationalise Section 24 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, which guarantees adequate

India must
adopt a
minimum
universal
disability
pension
floor rate

social security, including pension benefits. Such a measure would translate the promise of inclusive growth and "Sabka Saath, Sabka Vikas" into reality by shifting disability pensions from a matter of charity and discretion to a matter of citizenship rights. While ensuring that no disabled person receives less than a minimum pension regardless of where they live, a MUDPFR would still allow States to provide additional top-ups.

This is not an unrealistic proposal. South Africa provides a national disability grant with uniform eligibility norms; Brazil's BPC guarantees a national minimum income; and Australia and New Zealand operate nationwide disability pension systems. Several developing countries, including Kenya, Rwanda, Thailand and Indonesia, also provide disability income support at the national level. International experience shows that centrally set standards promote uniformity, universality and portability.

A MUDPFR of ₹8,000 per month for 40 lakh beneficiaries would cost about ₹38,400 crore annually (0.08% of GDP), while ₹30,000 for 65 lakh beneficiaries would cost ₹78,000 crore. Even a pension of ₹15,000 per month would keep expenditure below 0.2% of GDP. Such spending is fiscally manageable when compared with allocations for food subsidies (₹2.05 lakh crore), rural development (₹1.80 lakh crore), tax concessions and revenue foregone (₹1.72 lakh crore), and infrastructure (₹1.11 lakh crore). Yet, disability pensions and inclusion continue to receive only a tiny fraction of public expenditure.

From fragmentation to integration

The current disability pension system, shared between the Ministry of Rural Development and the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, leads to duplication, delays and diffused accountability. Countries that have faced similar challenges have addressed them through a single national authority – South Africa's SASSA, Australia's NDIA, Brazil's INSS and Ireland's Department of Social Protection. India too needs a National Disability Pension Authority to oversee eligibility norms, a national registry, portability, digital integration, grievance redress and State-wise performance monitoring – one standard, one system, one nation.

Implementing a robust disability pension system would strengthen India's bid for a UN Security Council seat by translating its commitments into action under Article 28 of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, ILO Recommendation No. 202, SDG 1.3, and the G-20 New Delhi Leaders' Declaration, all of which endorse social protection as a cornerstone of inclusive development.

Combining pensions with employment

support can move persons with disabilities from mere survival to productive participation. A MUDPFR could also yield economic benefits. Countries such as Singapore, South Korea, South Africa and Brazil integrate disability pensions with employment and social security systems. India should similarly strengthen its fragmented Disability Employment Incentive Scheme. Models abroad include employer tax incentives in Nigeria, the U.K.'s Access to Work programme, and Australia's wage subsidies. Existing schemes such as PM-DAKSH, NAPS and State-level employer incentives provide a foundation for expansion.

Constitutional imperative

A MUDPFR would give effect to the Constitution's guarantees of equality, equal protection, dignity and the right to life. India has already standardised major welfare programmes – from food security and health care to PM-KISAN and pensions – and delivers benefits at scale through DBT and UPI. The capacity and technology exist. What is needed is the political will to prioritise dignity. Disability pensions remain one of the few entitlements determined by where a person lives. If dignity is a constitutional right, geography cannot decide the minimum support for survival.

More than an economic or administrative reform, a MUDPFR is a moral one. It affirms that persons with disabilities are rights-bearing citizens, not recipients of charity. By transforming the state from a benevolent provider into a constitutional guarantor, it strengthens dignity, inclusion and citizenship.

Should India continue with a system in which disability pensions vary according to State budgets, political priorities and bureaucratic complexities, leaving persons with disabilities vulnerable to hardship? Or should the Republic guarantee a minimum level of support for all? A Viksit Bharat cannot leave its most vulnerable citizens at the mercy of a postcode lottery. Federalism cannot be a justification for inequality.

A MUDPFR is the next logical step in India's welfare architecture, building on rights-based entitlements enabled by digital inclusion and DBT. It would humanise the state, uphold the dignity of persons with disabilities and strengthen the Republic.

Over the past 75 years, India has steadily expanded its welfare state in pursuit of social justice. With the necessary platforms and delivery systems now in place, the time has come to secure the foundation. The real question is whether India recognises dignity for persons with disabilities as a constitutional right and a collective obligation. That promise is long overdue, and a MUDPFR offers a way to fulfil it.

